न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **56/2018** अपील (राजस्व)

श्री नानालाल पिता श्री पेमा जी नागदा ब्राम्हण निवासी 34, उमरवाली गली, माली कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. श्री गोविन्दराम पिता श्री उदा जी डांगी, निवासी धनवा रहट, करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती लच्छु बाई पत्नि श्री उदा जी डांगी, निवासी धनवा रहट, करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रामुबाई पत्नि श्री गोविन्दराम जी डांगी, निवासी धनवा रहट, करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री रामा पिता भेरा डांगी, निवासी धनवा रहट, करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री डालु पिता भेरा डांगी, निवासी धनवा रहट, करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री दीपा पिता भेरा डांगी, निवासी धनवा रहट, करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री वजा पिता भेरा डांगी, निवासी धनवा रहट, करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 4138 फैसल दिनांक 15.03.18 तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर</u>

उपस्थित : श्री हनुमानप्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री धनराज डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 4 से 7
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 27.05.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के नामान्तरकरण संख्या 4138 निर्णय दिनांक 15.03.18 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा करणपुर तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी संख्या 3207, 3215, 3350, 3351, 3359, 3360, 3512/3349 कुल किता 7 रकबा 4.07 बिघा स्थित हैं। उक्त भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 तक के संयुक्त खातेदारी की भूमि थी और इस भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा, गोविन्दराम पिता उदा डांगी का 1/8 हिस्सा श्रीमती रामुबाई पत्नि गोविन्दराम जी डांगी का 1/12 हिस्सा, श्रीमती लच्छुबाई पुत्री उदा डांगी का 1/8 हिस्सा रामा, डालु, दीपा एवं वजा पिता भेरा डांगी का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त भूमि सभी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। इस भूमि बाबत् अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट के मध्य हुई आपसी सहमती बॅटवाड़े के आधार पर सभी खातेदारो द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उस प्रार्थना पत्र पर आपसी सहमती से बॅटवाड़ा हुआ। बॅटवाड़े के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 4148 दिनांक 15.03.18 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला जाकर जमाबन्दी में उसका इन्द्राज किया गया। इस प्रकार सभी पक्षकारो के मध्य सहमति के आधार पर बॅटवाड़े से नामान्तरकरण संख्या 4148 दर्ज हुआ। उसी अनुसार भूमि का मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। परन्तु आपसी बॅटवाड़े में सभी खातेदार संतुष्ट नहीं हैं। आपसी बॅटवाड़े से सभी खातेदारो के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। जिससे दुःखित होकर इस नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

नामान्तरकरण निरस्ती बाबत् अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया लेकिन उन्होने यह कहकर की उक्त नामान्तरकरण को वह स्वयं निरस्त नहीं कर सकते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश नामान्तरकरण को

निरस्त करने बाबत् नहीं देकर पूर्ण रूप से कानुनी त्रुटी की हैं। अधिनस्थ न्यायालय में मात्र एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उस प्रार्थना पत्र में अलग अलग तरीके से किसी को कम भूमि देकर अनावश्यक तौर से भूमि का विभाजन किया गया हैं। जबकि इस विभाजन से कोई भी पक्षकार पूर्व में सन्तुष्ट नहीं थे। क्योंकि मौके पर अलग अलग जगह पर खातेदार काबिज थे। वादग्रस्त भूमि वास्तव में सभी के संयुक्त खातेदारी की थी। लेकिन रेस्पाडेंट द्वारा अनावश्यक तौर से अपीलान्ट पर दबाव बनाकर इस भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा हैं और क्योंकि अपीलान्ट ने भी यह भूमि अन्य खातेदारो से क्रय की हैं। उस पर रेस्पोडेंट स्वयं द्वारा तहसीलदार वल्लभनगर के यहॉ पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि का बॅटवाड़ा कराने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पाडेंटगणो के कहने पर ही अपीलान्ट द्वारा हस्ताक्षर किये लेकिन कुछ रेस्पोडेंट यह कहकर की वह अनपढ थे और इस बॅटवाड़े के लिये जो नामान्तरकरण खोला गया है वह कानुनन निरस्त होने योग्य हैं।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण का आदेश संख्या 4138 दिनांक 15.03.18 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें यह निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 दिनांक 26.09.18 को अपीलान्ट की जमीन पर आया और उक्त जमीन उसकी होने का कथन किया गया और अपीलान्ट को धमकी दी गई की जमीन से कब्जा छोड़कर चले जावें। नहीं तो उन्हे जबरन बेदखल कर देंगे एवं नामान्तरकरण सख्या 4138 को निरस्त कर दें जिस पर दिनांक 26.09.18 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपील प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया। अतः न्याय हेतु अपील को अन्दर मियाद लिवाय जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 4 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री धनराज डांगी उपस्थित जिनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गइ। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के तामिलन नोटिस संलग्न पत्रावली हैं। बावजुद नोटिस तामिल के रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 14.05.19 को अमल मे लाई गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा करणपुर तहसील वल्लभनगर की आराजी संख्या 3207, 3215, 3350, 3351, 3359, 3360, 3512/3349 कुल किता 7 रकबा 4.07 बिघा भूमि अपीलान्ट तथा रेस्पोडेंट के मध्य संयुक्त खातेदारी से दर्ज होकर अपीलान्ट का इस भूमि में 1/3 हिस्सा होकर शेष हिस्से अलग अलग रेस्पोडेंटगणो के नाम दर्ज थे। उक्त वर्णित भूमि जो कि सभी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी जो इस भूमि के बाबत् अपीलान्ट व रेस्पोडेंटगण के मध्य हुए आपसी सहमती के बॅटवाड़े के आधार पर सभी खातेदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर आपसी सहमती से बॅटवाड़ा करवाया गया। आपसी बॅटवाड़े के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण दर्ज किया गया एवं बॅटवाड़े के अनुसार नामान्तरकरण से जमाबन्दी में इसका इन्द्राज किया गया। अपीलीय नामान्तरकरण से खातेदारो के नाम दर्ज भूमि अनुसार मौके पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। लेकिन आपसी बॅटवाड़े से सभी खातेदार संतुष्ट नहीं हैं। आपस में विवाद उत्पन्न हो रहे है और अनावश्यक रूप से पैचिदगिया उत्पन्न की जा रही है जिससे दुःखित होकर इस नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलान्ट द्वारा कुछ भूमि स्वयं द्वारा क्रय की गई है उस भूमि का बॅटवाड़ा भी रेस्पोडेंटगण द्वारा चाहा जा रहा हैं। पक्षकारो के मध्य काफी लोग अशिक्षित होकर उन्हे कानुनो का पूर्ण ज्ञान नहीं था। मात्र कहने से उनके द्वारा भी दस्तखत कर दिये गये। ऐसी स्थिति में सभी को बराबर हिस्सा प्राप्त हो, सभी

के समान रूप से भूमि दर्ज हो इसलिये अपीलीय नामान्तरकरण को निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय नामान्तरकरण 4138 दिनांक 15.03.18 सहमती आपसी बॅटवाड़ा के आदेश से खोला जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हैं। परन्तु सह खातेदारो द्वारा किया गया आपसी बॅटवाड़ा में भूमि का रकबा कम ज्यादा होने से अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई हैं। वक्त बहस उपस्थित उभयपक्षकारानो द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारीज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगणो द्वारा भी अपील को वक्त बहस इकबालिया अपील को स्वीकार किया गया हैं। अपील को स्वीकार करने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होना नहीं बताया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि प्रकरण में रेस्पोडेंटगण द्वारा अपील को वक्त बहस स्वीकार किया गया हैं। रेस्पोडेंटगण को कोई आपत्ति नहीं होने से अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा प्रमाणित ग्राम करणपुर के नामान्तरकरण संख्या 4138 दिनांक 15.03.18 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,
उदयपुर